HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16653/2025

Mukesh Alias Naanchhi Lal S/o Shri Bhanwar Lal, Aged About 31 Years, R/o Plot No. 114 Aathuni Ki Dhani, Haathoj, Thaana Kalwad, Tehsil Jhotwada, Jaipur. (At Present Confined in Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mukesh Kumar, Adv. Ms. Deepika Phulwaria, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना बिंदायका, जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 232/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, वह लंबे समय से अभिरक्षा में है, उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध तथा उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप है, वह दिनांक 09.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 33 आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं तथापि प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश उर्फ नान्छी लाल पुत्र भंवरलाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निम्न शर्तों के अधीन हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावेः–

प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण का विचारण पूर्ण होने तक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इसमें चूक करने पर संबंधित थानाधिकारी अविलम्ब संबंधित न्यायालय को सूचित करें।

प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है, तो अभियोजन पक्ष प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदत्त जमानत सुविधा निरस्त करवाने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश की पालना हेतु इस आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने को अविलम्ब भिजवायी जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /29